निर्णय ब इजलास राजेन्द्र सिंह कविया आर.ए.एस. अपीलीय अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय), जयपुर

प्रकरण संख्या 04/2019 (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

जीवनराम पुत्र स्व. श्री भूराराम कुमावत निवासी– अमरावली ढाणी, तहसील किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जिला जयपुर।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005.

निर्णय दिनांक 07.01.2020

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि श्री जीवनराम ने सूचना का अधिकार अधि... 2005 की धारा 6(1) के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी सांभर... जिला जयपुर के नाम आवेदन मय शुल्क प्रेषित कर चाहा निम्न सूचना चाही है:–

   i) महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर राजस्थान पत्र क्रमांक 2017/9246 दिनांक 08.09.17 के संदर्भ में विषय परिवाद संख्या एच 5326/दिनांक 29.11.16 पूर्व इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 11529/30 दिनांक 30.11.16 के संदर्भ में जीवणराम पुत्र भूराराम कि. रेनवाल विरुद्ध नगर पालिका कि. रेनवाल अधिशाषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार एवं मिलीभगत से सरकारी जमीन से अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण न्यायालय आदेश की पालना नहीं किये जाने से संबंधित प्रकरण में कि गई जांच व कार्यवाही रिपोर्ट श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर प्रेषित की गई जांच एवं कार्यवाही रिपोर्ट की सूचना दी जावें।

   ii) यह है कि श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयपुर के पत्रांक सामान्य 3/2653 दिनांक 23.08.2013 विषय परिवाद संख्या 5261/23.11.16 एवं पत्र क्रमांक सामान्य 3/2707 दिनांक 23.08.18 विषय नगर पालिका कि. रेनवाल की भूमी पर अतिक्रमण की गलत रिपोर्ट देने के संबंध में श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक को पत्र प्रेषित कर प्रकरण में नियमानुसार जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया उक्त आदेश की पालना में प्रकरण में नियमानुसार जांच व कार्यवाही रिपोर्ट की सूचना दी जावें।

   iii) श्रीमान संभागीय आयुक्त जयपुर पत्र क्रमांक पं. 11(4) भूअ स. 16/855 दिनांक 05.05.16 श्रीमान जिला कलेक्टर को प्रेषित कर प्रकरण में विषय नगर पालिका कि. रेनवाल खसरा न. 357 भूमी जो सरकारी के अन्य द्वारा किये गये अतिक्रमण जब नहीं हटाने पर नगर पालिका के विरुद्ध कार्यवाही कर अतिक्रमण हटाने बाबत उक्त श्रीमान के

Court of the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III • JAIPUR •

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

आदेश की पालना आज तक नगर पालिका कि. रेनवाल सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने के संबंध में कार्यवाही एवं पालना नहीं कि गई आपके द्वारा उक्त प्रकरण में अपने स्तर पर जांच एवं आवश्यक कार्यवाही कर निस्तारण कर एवं आवेदक को सुचित कर करने हेतु आदेशित किया गया था उक्त प्रकरण में जांच एवं आवश्यक कार्यवाही कर सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटवायें एवं कि गई जांच व कार्यवाही रिपोर्ट की सूचना दी जावे।

iv) यह है कि प्रार्थी द्वारा शिकायत पत्र दिनांक 28.06.16 एवं दिनांक 06.03.19 को प्रेषित कर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय प्रकरण कि जांच करने हेतु श्रीमान अतिरिक्त कलेक्टर प्रथम प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा पत्र क्रमांक राजस्व 5(271) 1478 दिनांक 19.03.19 प्रार्थी को सूचनार्थ प्राप्त हुआ परिवाद संख्या 5261/23.11.16 विरुद्ध श्रीमती सुमन कुमावत अध्यक्ष नगर पालिका कि.रेनवाल एवं अन्य बाबत उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक प्रभूदयाल शर्मा गलत तथ्यों के आधार पर जांच रिपोर्ट पेश करने के संबंध में आपको पत्र में अंकित तथ्यों के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करने हेतु क्रमांक राजस्व 5(271) 19/प्रभारी अधिकारी सामान्य शाखा कलेक्टर जयपुर को आदेशित किया गया उक्त प्रकरण में श्रीमान के आदेशानुसार पत्र में अंकित तथ्यों के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु पालना रिपोर्ट में कि गई जांच व कार्यवाही रिपोर्ट की सूचना दी जावें।

नियत समयावधि में चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील पेश कर वांछित सूचना दिलाने का अनुरोध किया है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जिला जयपुर को अपील मीमों की फोटो प्रति प्रेषित की जाकर बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी अनुपस्थित है।

3. पत्रावली एव राज्य लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त टिप्पणी का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जिला जयपुर से प्राप्त टिप्पणी क्रमांक पीए/आर.टी.आई./2019/1478 दिनांक 21.08.2019, जिसकी प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की गई है, के अनुसार बिन्दु संख्या 2 में की गई कार्यवाही से संबंधित दस्तावेज की सूचना (31 पृष्ठ) अपीलार्थी को प्रेषित कर दी गई है। बिन्दु संख्या 1, 3 व 4 की सूचना कार्यालय से संबंधित नहीं होने की सूचना प्रार्थी को प्रेषित कर दी गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध कराये जाने के बाद अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अपील का निस्तारण उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक को इस

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

निर्देश के साथ किया जाता है कि भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम में निर्दिष्ट नियमों में निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध कराई जावे।

5. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उभय पक्ष को जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

6. निर्णय आज दिनांक 07.01.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

Court of the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III • JAIPUR •

(राजेन्द्र सिंह कविया)
अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर